GCMS संख्या 2022 / 251
प्रकरण संख्या 144 / 22
श्री ऐजाज मोहम्मद बनाम राज्य सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 251

प्रकरण संख्या 144 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री ऐजाज मोहम्मद वगैराह बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 28.07.2022

1. प्रार्थी श्री ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खां पुत्र नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद, रेहानाबानु पुत्री नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान, प्रकाश चन्द्र पुत्र शांतिलाल ब्राह्म्ण, खेरू निस्सा पति मुस्ताक खां पठान, मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल निवासी भीण्डर द्वारा तहसीलदार भीण्डर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को भू–प्रबन्धन कार्यवाही के दौरान राजस्व रेकर्ड में नक्शे की तरमीम में त्रुटि की गई जिसके कारण काश्तकारों के खसरे नम्बर अदला–बदली कर दिये गये जिससे वर्तमान में मौके एवं राजस्व रेकर्ड मे भिन्नता है जिसकों दुरस्त करने बाबत् निवेदन किया है।

2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा खाता शुद्धि करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बंदोबस्त पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 601 की आराजी संख्या 5163/8 शामिल न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहानाबानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल ब्राह्म्ण हिस्सा 1/2 दर्ज रेकर्ड है एवं खाता संख्या 289 की आराजी संख्या 5163/7 शामिल न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–0 बीघा भूमि खेरू निशा पत्नि मुस्ताख खां पठान मुसलमान के नाम दर्ज रेकर्ड है एवं खाता संख्या 635 की आराजी संख्या 5163/10 शामिल न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा भूमि मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

3. बन्दोबस्त के बाद नवीन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2078 के खाता संख्या 626 कि आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहरा बाई पत्नि नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानु पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 के दर्ज है उक्त खाता संख्या पुराने खाता संख्या 601 से बना है।

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

4. इसी प्रकार नये आराजी नम्बर 6854, 6855, 6856 कुल किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि खैरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुरलमान के नाम दर्ज रेकर्ड है जो कि पुराना खाता संख्या 289 की आराजी संख्या 5163/7 शामिल न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–0 बीघा भूमि खेरू निशा पत्नि मुस्ताख खां पठान मुसलमान के नाम दर्ज रेकर्ड था।

5. इसी प्रकार नया खाता संख्या 1328 बना है जिसके आराजी संख्या 6864, 6865, 6866, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है जो कि खाता संख्या 635 की आराजी संख्या 5163/10 शामिल न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा भूमि मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड था।

6. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कब्जे की स्थिति भिन्न–भिन्न है जिसमें आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853, कुल किता 1 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहरा बाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानु पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शांन्तिलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेकर्ड है। उक्त खातेदारो का कब्जा 6794, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899 किता 9 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि पर है जो नगरपालिका के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदार ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहरा बाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानु पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शांन्तिलाल हिस्सा 1/2 का कब्जा है एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने मौके पर चारदिवारी, कुंआ है एवं काश्तकारों द्वारा लगातार खेती की जा रही है। ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहरा बाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानु पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शांन्तिलाल हिस्सा 1/2 नाम दर्ज रेकर्ड भूमि जिसके खाता संख्या 626, खसरा संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 [illegible] हैक्टेयर है उक्त भूमि पर तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खैरूनि[illegible] का कब्जा है। पटवारी रिर्पोट के अनुसा[illegible] पर खैरूनिस्स[illegible]ारदिवारी एवं कृषि की जा रही है जहां पर सौलर प्लांट ल[illegible] के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि जिसके नवीन खाता संख्या 289 एवं खसरा संख्या 6854, 6855, 6856 किता 3 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर है उक्त भूमि पर काश्तकार मोतीलाल पुत्र शंकरलाल निवासी जेतपुरा का कब्जा है एवं उसने चारदीवारी बनी होकर कृषि की जा रही है। अतः उक्त प्रकरण में भू–प्रबन्धन के पूर्व इन सभी काश्तकारों का एक शामिल नम्बर होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

अलग से तरमीम नहीं था। अतः भू–प्रबन्धन के बाद पुराने नम्बरों के आधार पर नये नम्बर खातेदारों के नाम दर्ज किये गये लेकिन इनकी तरमीम गलत कर दी और जो भूमि ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहरा बाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानु पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शांन्तिलाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है उक्त भूमि पर तहसीलदार भीण्डर ने निवेदन किया की खैरूनिस्सा पत्नि मुस्ताख खां पठान का कब्जा है एवं जो भूमि खैरूनिस्सा पत्नि मुस्ताख खां पठान के नाम दर्ज है उक्त भूमि पर मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा का कब्जा है एवं जहां मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल के नाम दर्ज रेकर्ड है वो भूमि वर्तमान में खाली पड़ी है। गत तीनों खातों एवं उनके आराजी संख्या जमाबन्दी में कायम किये गये है लेकिन गत नक्शे में इनकी तरमीम नहीं की गई है इसलिय स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है। साथ ही आराजी संख्या 6864, 6865, 6866 कुल किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि मोती लाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजीयात मौके पर खाली पड़ी है लेकिन उक्त आराजियात का कब्जा स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रभावित आराजी संख्या 6794, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6899 कुल किता 8, रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि के बजाय आराजी संख्या 6864, 6866 कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका स्थानीय विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए एवं आराजी संख्या 6898 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि के बजाय आराजी संख्या 6865 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म आ.चा. होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त के नाम एवं कब्जे अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु मय अनुशंषा रिपोर्ट प्रस्तुत कि है।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो भू–प्रबन्धन के पूर्व व बाद के दस्तावेज जिसमें नक्शा ट्रेस परिशिष्ट– ए परिशिष्ट – बी एवं जमाबन्दी नकल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थीगण एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिससे बंदोबस्त पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 601 की आराजी संख्या 5163/8 श.न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेकर्ड है जिससे बन्दोबस्त के बाद नवीन जमाबन्दी संवत् [illegible] के खाता संख्या 626 कि आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा [illegible]0 हैक्टेयर बनी एवं इसी प्रकार पुराने खाता संख्या 289 की आराजी संख्या 5163/7 श.न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–0 बीघा भूमि खेरू निशा पति मुस्ताख [illegible] पठान मुस्लमान के नाम दर्ज रेकर्ड है जिससे नवीन खाता संख्या 312 आराजी नम्बर 6854, 6855, 6856 कुल किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर बने एवं इसी तरह पुराने खाता संख्या खाता संख्या 635 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 5163/10 श.न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा भू. मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड थी जिससे नवीन खाता संख्या 1328 बना है जिसके आराजी संख्या 6864, 6865, 6866, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0800 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

8. पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजो एवं पेश किये गये राजस्व नक्शें परिशिष्ट "A" एवं "B" का अध्ययन किया गया। यह बात सही है कि उक्त पत्रावली में वर्णित सभी खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन एक बड़ा शामिल नम्बर होने के कारण प्रत्येक खातेदार की भू-प्रबन्धन से पूर्व के राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण काश्तकारों का कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन खसरो में भिन्नता हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भू-प्रबन्धन के बाद नये नम्बर के आधार पर काश्तकारों का कब्जा भिन्न स्थान पर है। उक्त प्रकरण में भू-प्रबन्धन से पूर्व तरमीम नहीं होने के कारण भू-प्रबन्धन के कार्मिकों द्वारा यह गलती की गई। इसमें किसी भी काश्तकार का रकबा हिस्सा कम नहीं हो रहा है एवं मौके कब्जे के अनुसार काश्तकारों के हक हिस्से अनुसार तरमीम का निवेदन किया है। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों कों भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः इस आधार पर भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटि जिसमें काश्तकारों के भू-प्रबन्धन से पूर्व तरमीम स्पष्ट नहीं होने के कारण कब्जे अनुसार तरमीम नहीं करके रेकर्ड में सभी काश्तकारों के तरमीम एक दुसरे कब्जे अनुसार भिन्न कर दी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत वस्तु स्थिति रिपोर्ट जिसमें काश्तकारों का कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड के साथ प्रस्तावित संशोधित तरमीम सहित भेजा गया जिसके आधार पर उस त्रुटि को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत [illegible] र्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 601 की आराजी सं[illegible]163 [illegible] श.न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा ऐज[illegible] दिलावर ख[illegible] नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 [illegible] मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेक[illegible] जिससे बन्दोबस्त के बाद नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 626 कि आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि के खातेदार है इसकी बजाय जहां काश्तकार का कब्जा है के अनुसार आराजी संख्या 6794, 6892, 6893, 6894, 6895,

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6896, 6897,, 6899 किता 8 रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि पर है जो नगरपालिका के नाम दर्ज है एवं आराजी संख्या 6898 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म आ.चा. होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है जिसके बजाय खातेदार ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 दर्ज की जावे, एवं आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि के खातेदार ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार है की बजाय खेरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान को खातेदार घोषित किया जावे एवं खातेदार खेरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 6854, 6855, 6856 कुल किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि खेरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान के बजाय मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज की जाना उचित प्रतीत होता है एवं मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज भूमि के आराजी संख्या 6864, 6865, 6866, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज है जहां वर्तमान में पड़त एवं खली पड़ी हुई है जिसको नगरपालिका के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शें के अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

10. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि जिसमें जिससे बंदोबस्त पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 601 की आराजी संख्या 5163/8 श.न. 5153, 5155, 5156, 5157 रकबा 5–00 बीघा ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेकर्ड है जिससे बन्दोबस्त के बाद नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 626 कि आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि के खातेदार है इसकी बजाय जहां काश्तकार का कब्जा है के अनुसार आराजी संख्या 6794, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897,, 6899 किता 8 रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि पर है जो नगरपालिका के नाम दर्ज है एवं आराजी संख्या 6898 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म आ. चा. होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है जिसके बजाय खातेदार ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज की जावे एवं आराजी संख्या 6850, 6851, 6852, 6853 किता 4 रकबा 1.0800

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर भूमि के खातेदार ऐजाज मोहम्मद, दिलावर खान पिता नजीर मोहम्मद, जेहराबाई पत्नी नजीर मोहम्मद हिस्सा 3/7 रेहाना बानू पुत्री नजीर मोहम्मद हिस्सा 1/14 एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/2 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार है की बजाय खेरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान को खातेदार घोषित किया जावे एवं खातेदार खेरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 6854, 6855, 6856 कुल किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि खैरू निशा पति मुस्ताख खां पठान मुस्लमान के बजाय मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज की जाती है एवं मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज भूमि के आराजी संख्या 6864, 6865, 6866, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि मोतीलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल सा. जेतपुरा के नाम दर्ज है जहां वर्तमान में पड़त एवं खली पड़ी हुई है जिसको नगरपालिका के नाम दर्ज किया जाता है एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शें परिशिष्ट "B" के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

11. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/7/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner